न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 80 / 2016

1. प्रेमी देवी पत्नी राजमल शर्मा निवासी मालास, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा **–अपीलार्थी**	**बनाम**	1. छैलसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा **–रेस्पोडेण्ट**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार करेड़ा दिनांक 13.04.2015

उपस्थित –

1. श्री प्रवीण सारस्वत – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री गोपाल अजमेरा – अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.3.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जो कि अनपढ़ होकर भोली भाली सामान्य गृहिणी है, के भोलेपन एवं असाक्षरता का फायदा उठा रेस्पोडेन्ट ने विवादित शामलाती आराजियात पर चले आ रहे कब्जे अनुसार अर्थात पूर्वी तरफ की 07 बीघा अपीलान्ट के हिस्से में एवं पश्चिमी तरफ की 07 बीघा रेस्पोडेन्ट ने अपने हिस्से में रखने की कहकर विभाजन के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट की अंगुष्ठ निशानी धोखास्पद तरीके से करा ली जबकि रेस्पोडेन्ट ने जो विभाजन आलोच्य निर्णय से कराया है वह मौके अनुसार न होकर उसके ठीक विपरीत है अर्थात पूर्वी तरफ तो रेस्पोडेन्ट का हिस्सा बता दिया गया व पश्चिमी तरफ अपीलान्ट का हिस्सा बता दिया गया इस प्रकार उक्त विभाजन बाबत् कोई किसी प्रकार की स्वतंत्र सहमती अपीलान्ट की न होते हुये भी धोखास्पद तरीके से करायी गयी अंगुष्ठ निशानी का नाजायज फायदा उठा रेस्पोडेन्ट ने आलोच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर लिया जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। निर्विवाद रूप से ग्राम मालास में स्थित आराजी संख्या 1510 रकबा 14 बीघा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के 1/2, 1/2 हक व हिस्से की संयुक्त आराजियात है जिसमें अपीलान्ट उक्त आराजियात के पूर्वी तरफ 07 बीघा भू–भाग पर आपसी सहमती से काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है तथा पश्चिमी तरफ के 07 बीघा भू भाग पर रेस्पोडेन्ट आपसी सहमती से काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा दानों पक्षों ने उक्त अनुसार ही विभाजन बाबत् सहमती दी क्योंकि अपीलान्ट की अन्य और आराजियात अवस्थित है अर्थात दोनो को मिलाने से एकचक हो जाता है इसी कारण तद्नुसार मौखिक विभाजन आपसी सहमती से किया हुआ है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने पटवार हल्का से मिलीभगती कर एवं अपीलान्ट की अति विश्वसनीयता एवं भोलेपन का फायदा उठा पूर्वी तरफ का हिस्सा अपने हक में 1510/1 के रूप में एवं पश्चिमी तरफ का हिस्सा

पर आपसी सहमती से काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है तथा

नि० प्रेमी देवी

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम प्रकरण में निगराकार की ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर दिनांक 13.04.2015 से दिनांक 06.10.2016 तक का समय अपीलार्थिया द्वारा बताये गये सद्भाविक कारणो से काबिल क्षम्य के है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में दिनांक 13.04.2015 से दिनांक 06.10.2016 तक के समय को क्षमा किया जाकर निगराकार की निगरानी को मियाद में शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अब प्रकरण में प्रस्तुत अपील के गुणावगुणों पर विचार किया जाना है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में बताये गये तथ्यों एवं तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि प्रकरण से संबंधित ग्राम मालास की आराजी संख्या 1510/1 रकबा 7 बीघा पर प्रेमदेवी पत्नि राजमल शर्मा का कब्जा है एवं आराजी संख्या 1510 रकबा 7 बीघा पर छेल सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत का कब्जा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संख्या 2071–2074 के खाता संख्या 168 में सहमति बंटवारा के नामान्तरकरण संख्या 1107/05.05.2015 में प्रेमदेवी पत्नि राजमल शर्मा के नाम आराजी संख्या 1510 मूल तथा छैल सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत के नाम आराजी संख्या 1510/1 दर्ज रिकॉर्ड है जो कि मौके की स्थिति से विपरीत है। जिससे तहसीलदार करेडा द्वारा जारी उक्त नामान्तरकरण संख्या 1107 दिनांक 05.05.2015 के आदेश में मोके व कब्जे के विपरीत नामांतरकरण किया जाना प्रथमदृष्टया पाया जाता है। अतः अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव

आदेश

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार की जाकर तहसीलदार करेडा द्वारा पारित आदेश नामांतरकरण संख्या 117 दिनांक 05.05.2015 को अपास्त कर तहसीलदार करेडा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुना जाकर मौके की स्थिति के अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें।

प्रकरण बाद तामिल निर्णय शुमार हो। आदेश आज दिनांक 18-03-.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा

पर आपसा सहमता स काबज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है तथा

नि० प्रेमी देवी